न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1253 सन 2022
अनवान :–

1. सुभाष पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
2. दयाराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री माडुराम सहारण अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 40/38 की कुल 1.5180हैक्ट में से 1/9 हिस्सा एव रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 87/84 की कुल 0.5190हैक्ट तथा रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 150/89 की कुल 5.3270हैक्ट में से 1/9 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा देवीलाल पुत्र चुन्नीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा देवीलाल पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा देवीलाल पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 40/38 की कुल 1.5180हैक्ट में से 1/9 हिस्सा एव रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 87/84 की कुल 0.5190हैक्ट तथा रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 150/89 की कुल 5.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3270हैक्ट में से 1/9 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा देवीलाल पुत्र चुन्नीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा देवीलाल पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा देवीलाल पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत किये अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 40/38 की कुल 1.5180हैक्ट में से 1/9 हिस्सा एव रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 87/84 की कुल 0.5190हैक्ट तथा रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 150/89 की कुल 5.3270हैक्ट में से 1/9 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी नामान्तकरण के अनुसार वाद भूमि देवीलाल पुत्र चुन्नीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा देवीलाल पुत्र चुन्नीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा देवीलाल पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का वाद पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को तलब किये जाने पर भी न्यायालय में उपस्थित नही आया अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 को वाद के सम्बध में ऐतराज नही मौन स्वीकृति है।

अतः वाद वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 40/38 की कुल 1.5180हैक्ट में से 1/9 हिस्सा एव रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 87/84 की कुल 0.5190हैक्ट तथा रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 150/89 की कुल 5.3270हैक्ट में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है के वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुभाष पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
2. दयाराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1253 सन 2022 निर्णय दिनांक–20/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 40/38 की कुल 1.5180हैक में से 1/9 हिस्सा एव रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 87/84 की कुल 0.5190हैक तथा रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 150/89 की कुल 5.3270हैक में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है के वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर